संख्या- 02/2023/सी0एम0-18/एक-1-2023-1-1099/2/2023

प्रेषक,

प्रभु एन0 सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी, 2023**

विषयः- संस्था मेसर्स एच0एल0 एग्रो प्रोडक्टस प्रा0लि0, कानपुर देहात द्वारा विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि का विनियमितीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-476/डीएलआरसी-का0दे0-एचएल एग्रो/2021, दिनांक-25.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्था मेसर्स एच0एल0 एग्रो प्रोडक्टस प्रा0लि0 द्वारा बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या-928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 26.10.2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 के आलोक में श्री राज्यपाल मेसर्स एच0एल0 एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 ग्राम उमरन, तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एवं विस्तारीकरण हेतु बिना पूर्वानुमति के संलग्नक-1 में उल्लिखित कुल 51 किता, कुल रकबा 20.2625 हे0 भूमि के जुर्माने सहित विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिए जाने पर विचार किया जा सकता हैः-

(1) संस्था द्वारा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी 51 किता, कुल रकबा 20.2625 हे0 भूमि के जिलाधिकारी सर्किल दर का 10 प्रतिशत अर्थात् रु0 4,16,88,870/-(रूपये चार करोड़ सोलह लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ सत्तर मात्र) की धनराशि ''राजस्व एवं पूंजीलेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान'' के लेखाशीर्ष ''0029-भू-राजस्व-101-भू-राजस्व/कर-06-राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्राप्तियां'' के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष ''03-अन्य प्राप्तियां'' में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं।

(6) संस्था द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
प्रभु एन0 सिंह
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, अवस्थांपना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
5. श्री अनूप कुमार साहू, संस्था मेसर्स एच0एल0 एग्रो प्रोडक्टस प्रा0लि0, 40/42 नया चौक परेड, कानपुर, उ0प्र0 पिन-208001
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in